FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0164 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/06/2026 10:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 18/06/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 21:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/06/2026 **Time (समय):** 09:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/06/2026 10:57:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 255 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** POLICE THANA, UDYOG NAGAR, KOTA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AAFHAK AHMED

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** EJAZ AHMED

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	THEKARA ROAD, ROYAL SUNCITY, BORKHERA, KOTA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	THEKARA ROAD, ROYAL SUNCITY, BORKHERA, KOTA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARIOM SINGH		पिता:RAGHUVEER SINGH	1. TIYAPATTI UCHHAIN,UCHHAIN,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.2026 समय 01.00 पी.एम. पर श्री आफाक अहमद पुत्र श्री एजाज अहमद जाति मुसलमान, उम्र 45 साल, निवासी-रॉयल सन सिटी, थेकडा रोड, बोरखेडा, कोटा उपस्थित आया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री विजय स्वर्णकार को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " प्रार्थी बोरखेडा का निवासी प्रोपटी का व्यवसाय करता हूं, प्रार्थी के बाहर आम का पेड लग रहा है,जिसको पडौसियों ममता एवं आकाश द्वारा काट दिये जाने पर प्रार्थी के पुत्र फरहान द्वारा उलाहना दिया गया, जिस पर ममता व आकाश ने मेरे पुत्र व उसके दोस्त के विरूद्व द्वारा थाना उद्योग नगर में झूठी रिपोर्ट इस आशय की पेश की फरहान व उसके दोस्त ने उस पर चाकू से हमला किया उक्त झूठी रिपोर्ट के क्रम में थाना उद्योग नगर के कानि. हरिओम द्वारा हमे थाने पर बुलाया गया, तथा उक्त मामले को रफा-दफा करने के एवज में 15000रूपये की मांग की 5000 रूपये हरिओम ने बातचीत के दौरान मेरी जेब से निकाल लिये तथा शेष 10000रूपये बाद में लेकर आने के लिये कहा उसके बाद में थाने पर नहीं गया तो हरिओम मुझे व मेरे लडके को थाने पर बुलाने के लिये फोन कर रहा है। मैं मेरे पुत्र व उसके दोस्त के विरूद्व की गई झूठी शिकायत को रफा दफा करवाने की ऐवज में हरिओम कानि. तथा थानेदार थाना उद्योग नगर को रिश्वत राशि दस हजार रूपये नहीं देना चाहता रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरा इनसे पूर्व मे कोई लेना-देना बकाया नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें। 15.06.2026 । प्रार्थी आफाक अहमद पुत्र श्री एजाज अहमद जाति मुसलमान उम्र 45 साल निवासी-रॉयल सन सिटी, थेकडा रोड, बोरखेडा, कोटा मोबाईल नम्बर " परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से मुझ पुलिस उप अधीक्षक को कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। समय 01.20 पी.एम पर परिवादी आफाक अहमद एंव उसके द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को लेकर अपने कक्ष में आया। मामला रिश्वत मांग का एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से कार्यालय में कार्यरत श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक पुलिस को बुलाया जाकर परिवादी से परिचय करवाया गया, मालखाने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर परिवादी को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालु करने एवं बन्द करने की विधि भली-भांती समझाई जाकर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर बाद आवश्यक समझाईश कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी के पास रवाना किया गया। परिवादी के हमराह श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को परिवादी की निगरानी हेतु रवाना किया गया। फर्द सुपूर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री आफाक अहमद मय श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय हाजा उपस्थित आया, परिवादी ने डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को बन्द अवस्था में पेश कर बताया कि मैं एवं श्री आशिक हुसैन जी ऑफिस से रवाना हो पुलिस थाना उद्योग नगर के पास पंहुचे, जहां में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर पुलिस थाने के अन्दर चला गया, आशिक जी बाहर ही रूक गये थे, मैने थाने पर हरिओम की तलाश की पर वह थाने पर नहीं था। इसलिये मैं बाहर आकर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। मैने आशिक हुसैन के पास आकर सभी हालात बताये। इसके बाद हम वहां से रवाना हो ऑफिस आये है। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मुझे शाम को 9 बजे बुलाया है, इसलिये वो शाम को मिलेगा। शाम को जब हरिओम का फोन आयेगा तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे शाम को आवश्यक कार्य है इसलिये आप किसी को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर भिजवा देना मैं वही मिल जाउंगा। इस पर श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को परिवादी का फोन आने पर तुरन्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर परिवादी के पास जाने हेतु पाबंद किया गया तथा श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक एवं परिवादी के मोबाईल नम्बर एक दूसरो नोट करवाये गये। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को बाद मुनासिब हिदायतकर कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया। समय 09.10 पी.एम. पर श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि अभी परिवादी आफाक का मेरे फोन पर फोन आया है। उसने बताया कि हरिओम का फोन अभी मेरे पास आया उसने मुझे डीसीएम चौराहे पर बुलाया है। इस पर श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखे

डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर आवश्यक हिदायतकर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को सुपूर्द करने हेतु रवाना किया गया। समय 10.45 पी. एम. पर श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक ने सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन पुलिस उप अधीक्षक को लाकर सुपुर्द किया तथा बताया कि “मैं मेरी कार से रवाना होकर डीसीएम पुलिया के नीचे पंहुचा, जहां परिवादी आफाक अहमद अपनी मोटर साईकिल से उपस्थित मिला। परिवादी को डीजीटल वॉईस रिकार्डर बंद व चालू करने की प्रक्रिया समझाकर परिवादी को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डीसीएम चौराहे पर रवाना किया। मैं भी परिवादी की निगरानी हेतु उसके पीछे-पीछे रवाना हुआ, परिवादी पुलिस थाना उद्योग नगर के अन्दर चला गया, थोडी देर बाद थाने से बाहर आकर डीसीएम चौराहे पंहुचा, मै चौराहे के थोडी दूर रूक गया था, थोडी देर बाद परिवादी मेरे पास आया एवं बताया कि मै रवाना होकर आरोपी हरिओम से वार्ता करने हेतु थाना उद्योग नगर गया था। जहां से आरोपी से जर्ये मोबाईल वार्ता कि तो आरोपी ने डीसीएम चौराहा पर बुलाया जिसके पश्चात मै रवाना होकर डीसीएम चौराहा पंहुचा, जहां आरोपी हरिओम मौजूद मिला। जिससे रिश्वत के बारे में बातचीत की तो आरोपी ने 10000 रूपये की मांग की तथा बाद में 8000 रूपये रिश्वत लेने को सहमत हुआ है। हमारे मध्य होने वाली वार्ता डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मेे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड हो गई है। श्रीमान से जर्ये मोबाईल वार्ता कर सम्पूर्ण हालात निवेदन किए गए थे आपके निर्देशानुसार परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर तथा उसे गोपनीयता की हिदायत कर सकुशल रवाना कर वापस आया हूं“ मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सहायक उप निरीक्षक से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन की पुष्ठी हुई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को मालखाने में सुरक्षित रखा गया। फर्द प्राप्ती मुर्तिब की जाकर सभी संबंधितों को पढकर सुनायी व दिखाई गई, सुन समझ पढ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 16.06.2026 समय 12.00 पी.एम. पर श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 को वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु कार्यालय हाजा का पत्रांक 1387 दिनांक 16.06.2026 श्रीमान उप वन संरक्षक, नयापुरा कोटा के नाम पत्र प्रेषित कर कार्यालय उप वन संरक्षक, नयापुरा कोटा रवाना किया गया। समय 01.00 पी.एम. पर श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 कार्यालय उप वन संरक्षक, नयापुरा कोटा से दो कार्मिक श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम बडोद तहसील दीगोद थाना बुढादीत, जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा मो0न0   एवं श्री मोहन लाल मेहता पुत्र श्री हरिश्ंाकर मेहता जाति मेहता, उम्र 37 वर्ष, निवासी-ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद, थाना सांगोद, जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा मो0न0   को हमराह लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। गवाहान से परिचय प्राप्त कर गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में शामिल होने की सहमति प्राप्त की, तो दोनो ने मौखिक स्वीकृति प्रदान की। दोनों स्वतंत्र गवाहान को अग्रिम कार्यवाही के क्रम में कार्यालय में बैठाया गया। समय 04.30 पी.एम.पर परिवादी श्री आफाक अहमद कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी की आमद दर्ज की गई। परिवादी को कार्यालय हाजा पर पूर्व से उपस्थित गवाहान श्री जाकिर हुसैन कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहन लाल मेहता कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक नयापुरा कोटा से परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 15.06.2026 को एसीबी को पेश प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहन ने पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री आफाक अहमद एवं आरोपी हरिओम सिंह के मध्य दिनांक 15.06.2026 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया था, उक्त रिकॉर्डेड वार्ता को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी हरिओम सिंह की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुबहू नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.00 पी.एम. पर परिवादी श्री आफाक अहमद को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8000 रूपये लेकर आने तथा आरोपी का कॉल आने पर तुरंत सूचना करने की हिदायत कर एवं दोनो गवाहान श्री जाकिर हुसैन एवं श्री मोहन लाल मेहता को कॉल करने पर तुरन्त कार्यालय हाजा पर आने की समझाईश कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय हाजा से सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 18.06.2026 समय 10.46 ए. एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को अपने मोबाईल से व्हाट्सएप कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि आज सुबह आरोपी श्री हरिओम का फोन आया था, उसने मुझे आज शाम को 9 बजे थाने पर पैसे लेकर बुलाया है। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी को शाम को 5.30 पी.एम. पर मय आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि को लेकर आने की हिदायत की गई। इसलिये कार्यवाही के पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री जाकिर हुसैन कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहनलाल मेहता कनिष्ठ सहायक को जर्ये मोबाईल समय 4.30 पीएम पर कार्यालय हाजा उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। समय 04.30 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री जाकिर हुसैन कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहनलाल मेहता

कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक, नयापुरा कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री आफाक अहमद कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि मुझसे 7000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है इसलिए में आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7000 रूपये लेकर आया हुं। समय 07.35 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जाकिर हुसैन कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहन लाल मेहता कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा के समक्ष परिवादी श्री आफाक अहमद पुत्र श्री एजाज अहमद जाति मुसलमान, उम्र 45 साल, निवासी-रॉयल सन सिटी, थेकडा रोड, बोरखेडा, कोटा ने अपने पास से निकालकर भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 14 नोट कुल राशि सात हजार रूपये मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार है-

क्र0स0 नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 WL 438142
2. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 NN 643625
3. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 GU 881444
4. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 KH 171125
5. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 CW 693011
6. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 KH 436388
7. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 KM 967368
8. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 RD 442009
9. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 UA 038312
10. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 CW 764676
11. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 CM 887198
12. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 TD 935790
13. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 GP 325463
14. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 ES 605605

कार्यालय के मालखाने से श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक के द्वारा फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई, एक अखबार के ऊपर थोडा-सा फिनॉल्फथीलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉल्फथीलीन पाउडर भली-भांती लगवाया गया। गवाह जाकिर हुसैन सें परिवादी श्री आफाक अहमद की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फथीलीन पाउडर लगे नोटों को सीधे ही श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दायीं जेब में रखवाई गई। एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री गौरव नागर के फिनॉल्फथीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगंुलियों को घुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फथीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री आफाक अहमद को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति सें हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप सें नहीं छुये। आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब में से निकालकर उसे देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल पर मिसकॉल करके ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। दृष्टांत में काम में लिये गये अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को श्री गौरव नागर से जलवाया गया। श्री गौरव नागर को कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत की गई। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन सें धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवादी के आस-पास नजदीक रहकर श्री आफाक अहमद एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड के परिवादी को सुपूर्द कर रिश्वत के संबंध में स्पष्ट बात करने एवं आरोपी से होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के कार्ड में रिकॉर्ड करने की हिदायत की गई। समय 08.45 पी.एम. पर परिवादी श्री आफाक अहमद एवं श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को परिवादी की मोटर साईकिल से एवं श्री बृजराज सिंह हैड कानि0 144 व श्री रवि कुमार कानि0 285 को निजी स्कूटी से तथा श्री योगेश कानि0 291 व श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 को निजी मोटरसाइकिल से उधोग नगर थाने के पास स्थित सीएनजी पेट्रोल पम्प रूकने की हिदायत कर आगे आगे रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय प्राईवेट कार से मय स्वतंत्र गवाहान श्री जाकिर हुसैन एवं श्री मोहन लाल मेहता एवं श्री अभिषेक कानि0 197 मय ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप प्रिंटर सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के उधोग नगर थाने के पास स्थित सीएनजी पेट्रोल पम्प के लिए रवाना हुआ। समय 09.14

पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय एसीबी जाप्ता मय परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के उधोग नगर थाने के पास स्थित सीएनजी पेट्रोल पम्प के पास पहुचें जहा परिवादी श्री आफाक अहमद से आरोपी हरिओम सिंह को कॉल करवाया गया तो आरोपी ने परिवादी को थाने के बाहर आने के लिए कहा इस पर परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू करवाकर वास्ते रिश्वत देने हेतु बाद आवश्यक हिदायत आरोपी के पास उधोग नगर पुलिस थाने के बाहर रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान मय एसीबी जाप्ता के उधोग नगर थाने के गेट के बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के रिश्वत राशि आरोपी को देने के पश्चात् पूर्व में निर्धारित ईशारे की प्रतिक्षा में मुकिम हुआ। समय 09.30 पी. एम.पर परिवादी श्री आफाक अहमद ने पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा के बाहर दाहिनी ओर स्लिप लाईन पर स्थित चाय की दुकान के पास से मन् पुलिस उप अधीक्षक को अपने सिर पर हाथ फेरकर आरोपी हरिओम सिंह को रिश्वत राशि दिये जाने बाबत पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराही गवाहान मय ट्रेप पार्टी के पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा के बाहर स्लिप लाईन पर स्थित चाय की दुकान के पास पंहुचा, तो परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के पेश करते हुये पुलिस की वर्दी पहने ब्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुये बताया कि ये हरिओम सिंह है इसने अभी मुझसे मेरे बेटे के विरूद्व दर्ज शिकायत पर कार्यवाही नहीं करने के लिये मुझसे 7000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने दांयी जेब में रखे है। मैं पहले थाने में इनको देखने गया था तो वो थाने में नहीं मिले । मैंने फोन किया तो मुझे पुलिस थाने के बाहर चाय की दुकान पर बुलाया था। आरोपी ने एसीबी टीम को देखकर रिश्वत राशि को रोड पर फेंक दिया, रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री जाकिर हुसैन से उठवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरिओम सिहं कानि. चालक 1964 पुलिस लाईन जिला कोटा शहर होना बताया। आरोपी द्वारा मोटर साईकिल से भागने का प्रयास किया तो जाप्ते की मदद से आरोपी को डिटेन किये गया। गवाहान से रिश्वत राशि के नोटों का मिलान मोबाईल की रोशनी से करवाया गया तो फर्द पेशकशी से हूबहू मिलान हुआ। रिश्वत लेन देन का स्थान स्लिप लाईन रोड पर होने एवं रात का समय होने के कारण आगामी ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी को यथा स्थिति लेकर मय हमराही गवाहान, जाप्ता, मय परिवादी मय टे्प बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर मय वाहनो के पास स्थित पुलिस थाना उद्योग नगर पंहुचा, जहां श्री मांगेंलाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी उपस्थित मिले, जिनसे ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही करने के लिये अनुमति एवं स्थान उपलब्ध करवाने का निवेदन किया तो उन्होने थाना परिसर में बने थानाधिकारी के कक्ष में कार्यवाही करने के लिये कहा। इसके बाद थाने में स्थित थानाधिकारी के कक्ष में मन् पुलिस उप अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी एवं परिवादी के सामने आरोपी हरिओम सिंह को अपना, स्वतंत्र गवाहन एवं एसीबी जाप्ते का परिचय देकर पुनः आरोपी से नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम हरिओम सिहं पुत्र श्री रघुवीर सिंह उम्र-42 साल, जाति गुर्जर निवासी- तियापट्टी उच्चेन, पुलिस थाना उच्चेन, जिला भरतपुर हाल कानिस्टेबल चालक 1964 पुलिस लाईन कोटा शहर होना बताया जिससे पूछा कि आपने अभी परिवादी श्री आफाक अहमद से 7000 रूपये लिये है किस बात के लिये है तो उसने बताया कि लिये ही नहीं साहब मेरे पास कोई परिवाद ही नहीं है किस बात के लूंगा। फिर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने पूछा की परिवाद नहीं तो किस बात के लिये, तो आरोपी ने कहा कि मैने कहा लिये साहब, इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने पूछा कि 5000 रूपये पहले ले लिये और 7000 हजार आज लिये तो आरोपी ने कहा नहीं लिये सर नहीं लिये तो मन् पुलिस उप अधीक्षक ने पूछा कि फिर आपने इसको क्यों बुलाया फोन करके इस पर आरोपी नें कहा कि ये खुद ही फोन कर रहे रिकॉर्ड दिखा दूंगा ये ही बार बार फोन कर रहे है। इस पर परिवादी ने आरोपी की बातो का खण्डन करने हुये कहा कि मेरे बेटे के नाम पर इन्होने झूठा परिवाद है इन्होने बोला के मेरे लडके के पास फोन आया मेरी घरवाली ने बात करी तो इन्होने बोला की मैं हरिओम बोल रहा हूं थाने पर आ जाओ, थाने पे आने के बाद सूरज को बन्द कर रखा था, मुझसे पन्द्रह हजार रूपये मांगे मैने बोला साहब थोडा कम कर लो मै दस दे दूंगा, उस लडके को भी छोड दो इसके बाद मैने पांच हजार रूपये तो उसी दिन दे दिये, उसके बाद इन्होने उस लडके को नहीं छोडा, मेरे लडके का नाम हटाने के लिये इन्होने दस हजार रूपये और मांगे तब से इनसे दो तीन दिन से बात चल रही तो इन्होने 7000 हजार रूपये मांगे। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी से पूछा कि आज कितने रूपये दिये आपने परिवादी ने कहा कि आज मैने इन्हे 7000 रूपये दिये 500-500 रूपये के नोट। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी से पूछा किस बात के पैसे दिये तो परिवादी ने बताया कि मेरे बच्चे का नाम हटाने के लिये। इस पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप में लगाकर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। इस पर आरोपी से परिवादी के बेटे के खिलाफ परिवाद/ शिकायत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इनके बेटे के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है इस पर परिवादी के बेटे के खिलाफ दर्ज प्रकरण/परिवाद/शिकायत के बारे में पुलिस थाना उद्योग नगर के रिकॉर्ड मे तलाश करवाई तो परिवादी के बेटे के विरूद्व कोई प्रकरण/परिवाद/शिकायत दर्ज होना ज्ञात नहीं हुआ। श्री सूरज की गिरफ्तारी से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज श्री सोनू यादव कानिस्टेबल ने पेश किये, जिन्हे शामिल पत्रावली किये। इसके बाद थाने में रखे पानी के केम्पर से बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें थोडा पानी एवं थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर घोल का रंग रंगहीन रहा, जिस हाजरीन को दिखाया गया। घोल के एक गिलास में आरोपी हरिओम सिंह के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गलाबी हो गया जिसे गवाहों को दिखाकर धोवन को दो साफ कांच

की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच-1 व एल.एच-2 अंकित कर जप्त किया गया। इसके बाद दूसरे डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी हरिओम सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे उपस्थित गवाहों को दिखाकर कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशियों पर मार्क- आर.एच-1 व आर.एच-2 अंकित कर जप्त किया गया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के समक्ष स्वतंत्र गवाह श्री मोहन लाल मेहता द्वारा आरोपी की जामा तलाशी लिवाई गई तो पहनी हुई वर्दी की शर्ट की दाहिनी जेब से 500 रूपये के 5 नोट, 200 रूपये के 2 नोट, 100 रूपये को 1 नोट एवं 50 रूपये का 1 नोट कुल राशि- 3050 रूपये एवं एक मोबाईल सेमसंग कम्पनी का बरंग कॉपर का मिला, जिसे स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल मेहता के पास सुरक्षित रखवाया गया। एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गयां। तत्पश्चात् पुलिस थाना के बैरक से पैजामा मंगवाया जाकर आरोपी की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट को उतरवाकर पैजामा पहनाया गया तथा पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उल्टा कर उक्त धोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे गवाहों को दिखाकर धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी 1 एवं पी 2 अंकित कर जप्त किया गया। पेन्ट को सुखवाकर, पेन्ट की जेब पर गवाहन एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर शील मोहर कर मार्क पी दिया गया जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। प्रयोग में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाया जाकर नष्ट किया गया। स्वतंत्र गवाह श्री जाकिर हुसैन के पास रखे रिश्वत राशि के 500-500 के 14 नोटों का मिलान गवाह श्री जाकिर हुसैन व श्री मोहन लाल मेहता से पुनः फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान करवाये जाने पर हूबहू मिलान के पश्चात् उक्त सभी नोटो को एक कागज के सफेद रंग के लिफाफे में रखकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटों को मय लिफाफे अनशील्ड बजह सबूत जब्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त समस्त जप्ती की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में जर्ये मोबाईल श्री योगेश कुमार कानि. 291 से करवाई गई। आरोपी की मोटर साईकिल नम्बर आरजे 20 एसपी 8710 को मय चाबी ड्यटी अधिकारी श्री राम निवास सहायक उप निरीक्षक को सुपूर्द की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी आफाक अहमद के घर के बाहर आम का पेड लग रहा है, जिसको पडौसियों ममता एवं आकाश द्वारा काट दिये जाने पर प्रार्थी के पुत्र फरहान द्वारा उलाहना दिया गया, जिस पर ममता व आकाश ने परिवादी के पुत्र व उसके दोस्त के विरूद् द्वारा थाना उद्योग नगर में झूठी रिपोर्ट पर दौराने रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन आरोपी हरिओम सिंह 8000 रूपये की रिश्वत लेने पर सहमत होना, मांग के संदर्भ में आरोपी हरिओम सिंह ने दिनांक 18.06.2026 को 7000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करना, आरोपी हरिओम सिंह के दाहिने हाथ का धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथा बायें हाथ का धोवन का रंग गदमैला आना, आरोपी हरिओम सिंह की वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी थी का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आनां, नोटिस नमूना आवाज पर अपनी हस्तलेख में आवाज का नमूना देने से मना करना, परिवादी से 7000 रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करना आदि से आरोपी श्री हरिओम सिहं पुत्र श्री रघुवीर सिंह उम्र-42 साल, जाति गुर्जर निवासी- तियापट्टी उच्चेन, पुलिस थाना उच्चेन, जिला भरतपुर हाल कानिस्टेबल चालक 1964 पुलिस लाईन कोटा शहर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्ट्या पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है। समय 11.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराह एसीबी जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, डिटेनशुदा आरोपी हरिओम सिंह, धोवन सेम्पल की शील्डशुदा 6 शीशीयां, रिश्वत राशि 7000 रूपये मय लिफाफा, डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर आदि सामग्री के पुलिस थाना उधोग नगर कोटा से कार्यालय हाजा के लिए रवाना हुआ। समय 11.16 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराह एसीबी जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, डिटेनशुदा आरोपी हरिओम सिंह, धोवन सेम्पल की शील्डशुदा 6 शीशीयां, रिश्वत राशि 7000 रूपये मय लिफाफा, डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर आदि सामग्री के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। समय 11.30 पीएम पर परिवादी श्री आफाक अहमद एवं आरोपी हरिओम सिंह के मध्य दिनांक 18.06.2026 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता, जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉडर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री आशिक हुसैन सउनि द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर उक्त रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी हरिओम सिंह की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री आशिक हुसैन सउनि द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता हुबहू नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 19.06.2026 समय 12.45 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी हरिओम सिंह को उसके एवं परिवादी श्री आफाक अहमद के मध्य दिनांक 15.06.2026 को हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 18.06.2026 को वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जिनको

परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड्र्स में रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड्र्स में रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं में उसकी आवाज का मिलान का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर सें करवाये जाने हेतु नोटिस नमूना आवाज दिया गया, तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "श्रीमान जी, मैं मेरी आवाज का स्वेच्छा से नमूना आवाज नहीं देना चाहता हूं"। समय 01.15 एएम पर आरोपी श्री हरिओम सिहं पुत्र श्री रघुवीर सिंह उम्र-42 साल, जाति गुर्जर निवासी- तियापट्टी उच्चेन, पुलिस थाना उच्चेन, जिला भरतपुर हाल कानिस्टेबल चालक 1964 पुलिस लाईन कोटा शहर, कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। समय 02.00 एएम पर गवाहान श्री जाकिर हुसैन कनिष्ठ सहायक व श्री मोहनलाल मेहता कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री आफाक अहमद के समक्ष आरोपी हरिओम सिंह कानिस्टेबल चालक व परिवादी श्री आफाक अहमद के मध्य दिनांक 15.06.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में चार फाईल 260615_2134.mp3 जो 31345KB फाईल 260615_1410.mp3 जो 9646 KB तथा फाईल 260615_2157.mp3 जो 106 KB व 260615_2217.mp3 जो 36 KB की है। इसी प्रकार दिनांक 18.10.2026 को परिवादी श्री आफाक अहमद व आरोपी हरिओम सिंह के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 260618_2119.mp3 जो 17,817 KB, उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं को श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर में अलग अलग मेमोरी कार्ड को लगाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर को लेपटोप में कनेक्ट कर वार्ताओं की सभी फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वार्ताओ के SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए अलग अलग दो मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, दोनो मेमोरी कार्ड को अलग अलग कवर सहित कपडे की पृथक-पृथक थेलियों में रखकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेन ड्राईव कवर मे अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही सीजर की कार्यवाही को कार्यालय के मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में, जरिये मोबाईल श्री योगेश गोचर कानि0 291 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। जिसकी मेमोरी कार्ड में दो फाईल क्रमशः 20260618_213916.mp4, जो 41,93,182KB , 20260618_221244.mp4, जो 7,02,141 KB की हैं। उक्त मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड को श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक के द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर को लेपटोप में कनेक्ट करवाकर उक्त मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड हुई विडियो रिकॉर्डिंग फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वीडियोग्राफी का SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के एक पेन ड्राईव तैयार किया गया, मूल मेमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत जप्त कर कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव को कवर मे अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखा गया। समय 04.55 एएम पर गिरफ्तारशुदा आरोपी हरिओम सिंह का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु एक तहरीर क्रमांक स्पेशल-1 दिनांक 19.06.2026 ड्यूटी डॉक्टर, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय, कोटा के नाम जारी कर श्री आशिक हुसैन सउनि, श्री अभिषेक कानि,197, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री रवि कुमार कानि. 285 के मय आरोपी मय सरकारी वाहन जीप के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा के लिए रवाना किया गया। समय 05.20 एएम पर 285 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी हरिओम सिंह का स्वास्थ्य परीक्षण ड्यूटी डॉक्टर, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय, कोटा से करवाकर कार्यालय हाजा उस्थित आयें। समय 06.10 एएम पर गिरफ्तारशुदा आरोपी हरिओम सिंह को रात्रि सुरक्षा की दृष्टि से दाखिल हवालात करवाने की थानाधिकारी पुलिस थाना नयापुरा, कोटा के नाम तहरीर स्पेशल-2 दिनांक 19.06.2026 जारी कर श्री योगेश कुमार कानि0 291, श्री अभिषेक कानि,197, श्री रवि कुमार कानि. 285 व श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 के मय आरोपी मय सरकारी वाहन जीप के पुलिस थाना नयापुरा के लिए रवाना किया गया। समय 06.35 एएम पर श्री योगेश कुमार कानि0 291, श्री अभिषेक कानि,197, श्री रवि कुमार कानि. 285 व श्री योगेन्द्र सिंह कानि0282 गिरफ्तारशुदा आरोपी हरिओम सिंह को पुलिस थाना नयापुरा, कोटा मे दाखिल हवालात करवा कर मय सरकारी वाहन जीप के कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 06.45 ए.एम.पर स्वतंत्र गवाहान श्री जाकिर हुसैन व श्री मोहनलाल मेहता एवं परिवादी श्री आफाक अहमद को सुबह 11 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 6 शीशीयां, शील्डशुदा 5 पेन ड्राईव, मूल रिकॉर्डिग के तीन मेमोरी कार्ड, बरामदशुदा रिश्वती 7000 राशि मय लिफाफा, पेंट का शील्डशुदा पैकिट को मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को सुपूर्द कर

जमा मालखाना करवाया गया।दिनांक 20.06.2026 समय 11.00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री जाकिर हुसैन व श्री मोहनलाल मेहता एवं परिवादी श्री आफाक अहमद पृथक-पृथक कार्यालय हाजा उपस्थित आये। आमद दर्ज की गई। समय 11.20 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जाकिर हुसैन व श्री मोहनलाल मेहता एवं परिवादी श्री आफाक अहमद के घटना स्थल का नजरी निरीक्षण मुर्तिब करने हेतु मय सरकारी वाहन बोलेरों के पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा शहर के बाहर घटनास्थल पर रवाना हुआ। समय 12.10 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जाकिर हुसैन व श्री मोहनलाल मेहता एवं परिवादी श्री आफाक अहमद के परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नजरी निरीक्षण मुर्तिब कर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी के घर के बाहर आम का पेड लग रहा है, जिसको पडौसियों श्रीमती ममता एवं आकाश द्वारा काट दिये जाने पर प्रार्थी के पुत्र फरहान द्वारा उलाहना दिया गया, जिस पर ममता व आकाश ने परिवादी के पुत्र व उसके दोस्त के विरूद्व द्वारा थाना उद्योग नगर में झूठी रिपोर्ट इस आशय की पेश की फरहान व उसके दोस्त ने उस पर चाकू से हमला किया उक्त झूठी रिपोर्ट के क्रम में थाना उद्योग नगर के कानि. चालक हरिओम द्वारा परिवादी को थाने पर बुलाया गया, तथा उक्त मामले को रफा-दफा करने के एवज में 15000 रूपये की मांग की 5000 रूपये हरिओम ने बातचीत के दौरान परिवादी की जेब से निकाल लिये तथा शेष 10000 रूपये की मांग कर रहा था इस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो आरोपी हरिओम सिंह 8000 रूपये की रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। मांग के संदर्भ में आरोपी हरिओम सिंह ने दिनांक 18.06.2026 को 7000रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की, आरोपी हरिओम सिंह के दाहिने हाथ का धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथा बायें हाथ का धोवन का रंग गदमैला आया, आरोपी हरिओम सिंह की वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी थी का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया हैं, थाना उधोग नगर पर परिवादी के पुत्र के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही होने पर भी आरोपी हरिओम सिंह कानिस्टेबल चालक द्वारा परिवादी को डरा धमकाकर पूर्व में 5000 रूपये प्राप्त कर लिये गये व निरन्तर फोन पर धमका कर 7000 रूपये और रिश्वत की मांग करना व प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया है। आरोपी हरिओम सिहं हाल कानिस्टेबल चालक 1964 पुलिस लाईन कोटा शहर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी हरिओम सिहं पुत्र श्री रघुवीर सिंह उम्र-42 साल, जाति गुर्जर, निवासी- तियापट्टी उच्चेन, पुलिस थाना उच्चेन, जिला भरतपुर हाल कानिस्टेबल चालक 1964 पुलिस लाईन कोटा शहर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।(अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,कोटा...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरिओम सिहं पुत्र श्री रघुवीर सिंह, उम्र-42 साल, जाति गुर्जर, निवासी- तियापट्टी उच्चेन, पुलिस थाना उच्चेन, जिला भरतपुर हाल कानिस्टेबल चालक 1964, पुलिस लाईन कोटा शहर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अब्दुल साजिद खान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 366 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 998-1001 दिनांक 21.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ABDUL SAJID KHAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/06/2026 11:58:19

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)